प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021– अरडकी

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

बृजलाल बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 97 सन–2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
12.12.2021	प्रशासन गांव कें अभियान कैम्प कोर्ट अरडकी में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 398/397 की कुल 30.3890हैक दर्ज है जिसमें प्रार्थी की सकुनत रूपाणा तहसील सिरसा दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही सकुनत नगरासरी तहसील नोहर है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सकुनत नगरासरी तहसील नोहर दर्ज है प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में सकुनत नगरासरी तहसील नोहर दर्ज करवाना चाहता है प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी की सकुनत नगरासरी तहसील नोहर है सकुनत संशोधन की अभिशषा की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रूपाणा तहसील सिरसा दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात मे प्रार्थी की सकुनत नगरासरी तहसील नोहर दर्ज है प्रार्थी की सकुनत के सम्बध में कैम्प के दोरान संरपच के द्वारा प्रार्थी की सकुनत नगरासरी तहसील नोहर होना तस्दीक किया गया प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत किकराली की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा जबरारार के खाता संख्या 398/397 की कुल 30. 3890हैक में प्रार्थी की सकुनत रूपाणा तहसील सिरसा दर्ज है के स्थान पर नगरासरी तसहील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 कैम्प कोर्ट .अरडकी	

Scanned with CamScanner